

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर  
कैम्प कोर्ट- ग्राम पंचायत अलेई

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.

वाद संख्या 2/24/15

अनुवान-

रवेडी देवी बनाम बाबूलाल

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट.



07.06.2018:-आज यह पत्रावली स्वप्रेरणा से लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत अलेई पर मूल वाद के साथ पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण मे दिनांक 11.03.2015 को एकतरफा वकील प्रार्थी सुनी जाकर आराजी हाल खसरा नं0 1707/0.25, 1900/0.01, 1901/0.05, 1902/0.04, 1903/0.11, 1904/0.04, 1905/0.01, 1906/0.03, 1907/0.27, 1908/0.07, 1909/0.01, 1911/0.10, 1912/0.10, 1913/0.24, 1914/0.22, 1915/0.24, 1916/0.04, 1917/0.02 वाके ग्राम कारोड तहसील राजगढ की प्रार्थी के हिस्से तक मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत अप्रार्थीगण को दिनांक 30.04.2015 तक अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने बाबत जारी की गई है, तथा प्राथर्ना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्जे नोटिस तलब करने के आदेश जारी किये गये है। अप्रार्थीगण संख्या 3 बाद सूचना उपस्थिति न्यायालय नही आया तथा अप्रार्थी की संख्या 1 की और से दिनांक 12.04.2016 को वकील द्वारा वकालतनामा पेश किया गया है, परन्तु उसके द्वारा बार-बार अवसर दिये जाने के बाद जवाब प्राथर्ना पत्र पेश नही किया गया है। प्रकरण मे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रचलन दिनांक 11.03.2015 से प्रभावी है। जिसका निस्तारण आज दिनांक तक नही हुआ है। उक्त टी.आई. का प्रचलन गत 3 वर्षो से विचाराधीन है। इसलिये प्रार्थना पत्र प्रार्थी काबिल स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्राथर्ना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. आराजी हाल खसरा 1707/0.25, 1900/0.01, 1901/0.05, 1902/0.04, 1903/0.11, 1904/0.04, 1905/0.01, 1906/0.03, 1907/0.27, 1908/0.07, 1909/0.01, 1911/0.10, 1912/0.10, 1913/0.24, 1914/0.22, 1915/0.24, 1916/0.04, 1917/0.02 वाके ग्राम कारोड तहसील राजगढ स्वीकार किया जाता है। इस न्यायालय का पूर्व आदेश दिनांक 11.03.2015 का प्रचलन दावे के निर्णय तक स्थाई किया जाता है।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति सलंगन मूल वाद हो।

निर्णय आज दिनांक 07.06.2018 को मेरे द्वारा लोक अदालत कैम्प कोर्ट अलेई तहसील राजगढ पर सुनाया गया।

(पवन कुमार आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर  
कैम्प कोर्ट- ग्राम पंचायत अलेई